भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश,
भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स,
नर्मदापुरम रोड, भोपाल–462011
Phone: 0755-2554821 & 2764037
Fax: 0755-2557452
E-mail: srdagaebhopal@cag.gov.in

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT,
Office of the Accountant General
(A & E) Madhya Pradesh,
Bhopal Branch, 53, Arera Hills,
Narmadapuram Road, Bhopal-462011
Phone: 0755-2554821 & 2764037
Fax: 0755-2557452
E-mail: srdagaebhopal@cag.gov.in

क्र.उ.म.ले.(नि.ले.)/नि.वि.-1/2026-27/का.आ.-58 **दिनांक: 31/07/26**

कार्यालय आदेश

हाल ही में इस कार्यालय एवं संभागीय लेखापाल संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के मध्य ई-मेल के माध्यम से किए गए पत्राचार तथा उनके द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तरों के अवलोकन से यह संज्ञान में आया है कि कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पत्राचार हेतु अपनी **अधिकारिक (Official) ई-मेल आई.डी.** के स्थान पर अन्य ई-मेल आई.डी. का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही, अनेक प्रकरणों में ई-मेल का प्रत्युत्तर अनावश्यक विलम्ब से प्रेषित किया जा रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों की आधिकारिक ई-मेल आई.डी. या तो सक्रिय (Active) नहीं है अथवा उनके द्वारा उसका नियमित रूप से अवलोकन नहीं किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, यह भी संज्ञान में आया है कि प्राप्त होने वाले अनेक ई-मेल में **विषय (Subject)** स्पष्ट एवं उपयुक्त रूप से अंकित नहीं किया जाता है, जिससे पत्राचार के त्वरित एवं सुव्यवस्थित निस्तारण में अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न होती है।

अतः इस संबंध में समस्त संभागीय लेखापाल संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है—

1. इस कार्यालय द्वारा अधिकांश पत्राचार ई-मेल के माध्यम से किया जाता है। अतः प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी अपनी **अधिकारिक ई-मेल आई.डी.** का नियमित रूप से अवलोकन करना सुनिश्चित करें तथा इस कार्यालय द्वारा ई-मेल के माध्यम से जारी किए गए समस्त निर्देशों का समयबद्ध पालन करें।
2. यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की आधिकारिक ई-मेल आई.डी. किसी कारणवश सक्रिय (Active) नहीं है, तो इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए उसे यथाशीघ्र सक्रिय (Activate) कराना सुनिश्चित करें।
3. इस कार्यालय के साथ समस्त आधिकारिक पत्राचार केवल **अधिकारिक ई-मेल आई.डी.** के माध्यम से ही किया जाए। अन्य किसी व्यक्तिगत अथवा अनधिकृत ई-मेल

आई.डी. से किया गया पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा, सिवाय विशेष परिस्थितियों में इस कार्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त होने पर।

4. ई-मेल प्रेषित करते समय उसके **विषय (Subject)** में प्रकरण का स्पष्ट एवं संक्षिप्त उल्लेख किया जाए, जिससे संबंधित विषय की तत्काल पहचान की जा सके।
5. ई-मेल की भाषा सदैव शासकीय, स्पष्ट, शिष्ट एवं औपचारिक (Official) हो तथा आवश्यक संदर्भ, संलग्नक एवं विवरण यथास्थान अंकित किए जाएँ।

उक्त निर्देशों का समस्त अधिकारी/कर्मचारी तत्काल प्रभाव से कड़ाई पूर्वक पालन सुनिश्चित करें।

साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्र.उ.म.ले.(नि.ले.)/नि.वि.-1/का.आ.-3 दिनांक 15.07.2026 के निर्देशानुसार सेवा पुस्तिका में वर्तमान तिथि तक प्रविष्टियों का अवलोकन कर सत्यापित कर लिया गया है | इस संबंध में प्रमाण अतिशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें |

यह पत्र उप महालेखाकार (निर्माण लेखा) द्वारा अनुमोधित है |

भवदीय,

Digitally signed by Sandhya Kher
Date: 31-07-2026 13:01:42

वरिष्ठ लेखाधिकारी

निर्माण विविध - I

प्रति,

समस्त संभागीय लेखापाल संवर्ग मध्यप्रदेश अधिकारी / कर्मचारी |